अंर्तविभागीय बैठक में विमर्श की जाने वाली गतिविधियां

राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग एवं जिला स्तर के साथ समन्वय स्थापित पर सिविल सर्जन कार्यालय के सक्षम प्राधिकार के द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों के राज्य स्तर/जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर/ग्राम स्तर पर AES का प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य स्तर/जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर पर टास्क फोर्स कमिटि का गठन किया जा चुका है। प्रत्येक विभाग/कार्यालय अपने स्तर से AES नियंत्रणार्थ AES की IEC सामग्री का मुद्रण करते हुए प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। विभिन्न विभागों के स्तर से की जाने वाली गतिविधियॉ निम्नवत है :-

1. समाज कल्याण विभाग :-

- ❖ ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की सूची का संधारण एवं अद्यतीकरण किया जाना जिसमें JE के टीकाकरण का उल्लेख किया गया हो।
- ❖ ऑगनबाड़ी सेविका /सहायिका द्वारा AES की अनुमान्य दवाओं का संधारण किया जाना है।
- ❖ ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें Nutrition Rehabilitation Centre (NRC) में पहुँचाते हुए टेकहोम राशन की व्यवस्था करना।
- ❖ ऑगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) की बैठक में भाग लेते हुए AES नियंत्रणार्थ गतिविधियों का क्रियान्वयन करना।

2. ग्रामीण विकास विभाग :-

- ❖ जीविका दीदी द्वारा ग्राम स्तर तक AES नियंत्रणार्थ ASHA दीदी, ऑगनबाड़ी सेविकाओं के साथ ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए AES की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार करना।
- ❖ AES प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. पंचायती राज विभाग :-

- ❖ पंचायती राज संस्थान के जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों का Sensitization करना।
- ❖ जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर गठित शिक्षण एवं स्वास्थ्य की उप समिति के माध्यम से AES नियंत्रणार्थ गतिविधियों का क्रियान्वयन करना।
- ❖ प्रखण्ड एवं जिला परिषद की बैठकों में AES नियंत्रणार्थ कार्य-योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना।
- ❖ प्रभावित क्षेत्रों में संध्या चौपाल/रात्रि चौपाल का आयोजन करना।

4. शिक्षा विभाग :-

- ❖ प्रखण्ड स्तर पर गुरू गोष्ठी के माध्यम से सभी शिक्षकों को AES नियंत्रणार्थ गतिविधियों का अनुपालन करना।

Contd....

Curtsey from SOP's 2025, Page No.- 77-79

This may be downloaded from Health Deptt. GoB web portal as below- https://state.bihar.gov.in/health/ from its Menu & Guidelines/Operational Guideline's section.

- ग्राम स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक / आम सभा की बैठक में ग्रामिणों को AES से संबंधित सूचनाओं का संप्रेषण करना।
- Bagless Saturday अंतर्गत विद्यालयों में AES पर चर्चा करना।
- AES से दिव्यांग बच्चों को School Readiness Programme (SRP) एवं Home Based Education (HBE) के माध्यम से शिक्षित करना।
- मध्यान भोजन के माध्यम से प्रोटीनयुक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों के दीवारों पर 'चमकी की धमकी का शपथ पत्र' का लेखन करना।
- AES प्रभावित जिलों में विशेष कार्यक्रम अंतर्गत सुधा दूध पाउडर उपलब्ध कराना।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) :-

- पेय जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन एवं अन्य लवणता जैसे रासायनिक संक्रमण की जाँच करते हुए शुद्व पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरीनेशन / ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना।
- नल के चारों ओर कंक्रीट का चबुतरा एवं कम से कम 10 मीटर दूर पानी का निकास सुनिश्चित करने के लिए निकास नाली का निर्माण करना।
- चापाकलों पर पेय जल हेतु ब्लु रंग एवं नही पीने योग्य पानी के लिए लाल रंग से प्रदर्शन करना।
- 40 फीट से कम गहराई वाले चापाकलों के पानी नहीं पीने के संबंध में प्रचार-प्रसार करना।
- जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु ''जिला जल जाँच प्रयोगशालाओं'' में पानी की जाँच कराना।
- प्रभावित जिलों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति एवं सेनिटेशन के संबंध में Action Plan तैयार करना।

6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग :-

- प्रभावित जिलों के पंचायतों, विशेषकर महादलित टोलों में विकास मित्रों की सहभागिता से AES नियंत्रणार्थ बैठक / प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार करना।

7. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

- प्रभावित जिलों में राशन कार्ड की अहर्ता हेतु छुट गए लाभुकों को राशन कार्ड बनवाना।
- आवश्यकतानुसार Fortified Rice का वितरण लाभुकों के बीच करना।

This may be downloaded from Health Deptt. GoB web portal as below- https://state.bihar.gov.in/health/ from its Menu & Guidelines/Operational Guideline's section.

8. परिवहन विभाग :-

- ❖ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत वाहनों के मोबाईल नम्बर के साथ जिला के सिविल सर्जन कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना।
- ❖ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं 102 एम्बुलेंस के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना।

9. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग :-

- ❖ सुअर जापानी इंसेफलाइटिस के Amplifier Host होते हैं, जिसके माध्यम से जापानी इंसेफलाइटिस बीमारी का प्रसार होता है। अतः पक्के सुअरबाड़ों का निर्माण, खिड़की एवं दरवाजों पर जाली की व्यवस्था तथा सफाई की समुचित व्यवस्था करना।
- ❖ सुअरों के मल-मूत्रों के लिए सूखे एवं ढ़के गड्ढों का निर्माण करना।
- ❖ सुअर काटने के स्थान का निर्माण आबादी से दूर करना एवं इसकी सफाई करना।
- ❖ जापानी इंसेफलाइटिस से बचाव हेतु समय-समय पर सुअर के Nasal Swab की जाँच संबंधित पशुपालन विभाग के Laboratory से करवाना।

10. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग :-

- ❖ ए.ई.एस. के प्रचार-प्रसार हेतु मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगवाना।
- ❖ प्रभावित क्षेत्रों में ए.ई.एस. पर नुक्कड़-नाटक का आयोजन करना।
- ❖ प्रभावित क्षेत्रों में संध्या चौपाल / रात्रि चौपाल का आयोजन करना।

नोट :- संबंधित विभाग / कार्यालय अपने स्तर से अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन कर सकते हैं।

This may be downloaded from Health Deptt. GoB web portal as below- https://state.bihar.gov.in/health/ from its Menu & Guidelines/Operational Guideline's section.